उपस्थित :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण:– श्री अरूण कुमार शर्मा

अधिवक्ता अप्रार्थीगण:– श्री महेश कुमार शर्मा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक : 03.05.2024

अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम करवा सीकर पटवार हल्का सीकर की तन में भूमि खसरा नम्बर 1556/1907 रकबा 1.1200 हैक्ट, खसरा नम्बर 1555 रकबा 1.0000 हैक्ट, खसरा नम्बर 1554 रकबा 1.0000 हैक्ट भूमि अवस्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 1556/1907 हनुमान पुत्र चन्द्रबक्श के नाम चली आ रही है। हनुमान पुत्र चन्द्रबक्स की मृत्यु हो चुकी है उसके विधिक प्रतिनिधियों में अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 है जबकि स्व हनुमान के समय से ही स्व हनुमान और उसके उतराधिकारीगण अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 खसरा नम्बर 1555 की भूमि पर काबिज चले आ रहे है व खसरा नम्बर 1555 की भूमि पर ही उनका कब्जा और काश्त है और आवासीय मकान बने हुए है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 1555 प्रार्थी संख्या 1 व 2 और उनकी माता त्रिवेणी देवी के नाम से चला आ रहा है जो सेटलमेंट के दौरान हुए प्रत्यक्ष भूल है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1555 के राजस्व रिकॉर्ड से प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा उनकी माता त्रिवेणी देवी का नाम विलोपित किया जाकर प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा माता त्रिवेणी देवी के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का नाम अंकित किया जाना उचित और न्यायसंगत है।

इसी प्रकार खसरा नम्बर 1556/1907 रकबा 1.1200 हैक्ट जो राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान पुत्र चन्दवक्श के नाम चला आ रहा है जबकि इस खसरा नम्बर पर प्रार्थी संख्या 3 ता 9 अपने पूर्वजों के समय से ही काबज काश्त चले आ रहे है। इसी काश्त भूमि पर उनके आवास व निवास बने हुए है। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 1556/1907 से अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के पिता स्व हनुमान पुत्र चन्द्रबक्श का नाम विलोपित किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 का नाम अंकित किया जाना उचित और न्यायसंगत है। उक्त त्रुटी भी भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान हुई है।

इसी तरह भूमि खसरा नम्बर 1554 रकबा 1.0000 हैक्ट जिसका राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 एवं 6 ता 9 के पति/पिता राजकुमार एवं गुलाबी देवी पुत्री नारायण, झुमकी देवी पत्नी नारायण के नाम से है। जबकि इस के दक्षिणी भाग पर भी प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा उनकी माता त्रुवेणी देवी अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। शेष उतरी भाग पर प्रार्थी 3 ता 9 काबिज काश्त है। राजस्व रिकॉर्ड में यह त्रुटी भी भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान हुई है जिसको भी दुरूस्त किया जाकर खसरा

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

नम्बर 1554 के राजस्व रिकॉर्ड से प्रार्थी संख्या 3 ता 5 व 6 ता 9 के पति/पिता राजकुमार एवं गुलाबीदेवी पुत्री नारायण झुमकी पत्नी नारायण का नाम विलोपित किया जाकर उक्त खसरा नम्बर के दक्षिणी भाग में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 और उत्तरी भाग में प्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 व 6 ता 9 का नाम अंकित किया जाना उचित और न्यायसंगत है।

प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश कुमार शर्मा ने वकालतनाम पेश किया। अप्रार्थी संख्या 6 का नाम न्यायालय के आदेश दिनांक 09.03.2024 की पालना में हजफ किया गया। प्रकरण दुरूस्ती का होने से रिपोर्ट तहसीलदार चाही गई।

लोक अदालत दिनांक 09.03.2024 को पक्षकारों ने उपस्थित होकर, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित, प्रार्थी संख्या 2 की ओर से जरिये विशेषाधिकारी विजय कुमार पुत्र चौथमल हाजिर, प्रार्थिया संख्या 3 की ओर से जरिये विशेषाधिकारी रोहित कुमार पुत्र राजकुमार हाजिर, प्रार्थी संख्या 4 ता 9 स्वयं हाजिर तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने उपस्थित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया। प्रार्थीगण की पहचान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा तथा अप्रार्थीगण की पहचान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा की गई। उक्त राजीनामे में पक्षकारों ने प्रार्थना–पत्र के वर्णित तथ्यों को सही माना है व आवेदन में वर्णित तथ्यों के अनुसार निर्णय किये जाने हेतु आवेदन किया है।

रिपोर्ट तहसीलदार कमांकः–भू.अ./2024/1837 दिनांक 01.05.2024 प्राप्त जिसमें भी प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अतः रिपोर्ट तहसीलदार व पक्षकारों द्वारा पेश राजीनामा के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण को स्वीकार किया जाता है तथा रिपोर्ट तहसीलदार के पेज संख्या 6 में अंकित सारणी के अनुसार रिकॉर्ड शुद्ध किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा शुद्धि के पश्चात वारिसान द्वारा उक्त सारणी के कॉलम संख्या 6 में दर्ज खातेदार हनुमान पुत्र चन्द्रबक्स, त्रिवेणी पत्नी चौथमल, गुलाबी पुत्री नारायण, रामकुमार पुत्र नारायण, झीमकूदेवी पत्नी नारायण की फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण पृथक से न्यायालय तहसीलदार सीकर में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने पर व तहसीलदार सीकर वारिसों की विधि सम्मत जांच कर नियमानुसार विरासत के नामान्तकरण की कार्यवाही करें। रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय का भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 03.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर